

इसलिए इंतकाल सं0 234 के खिलाफ अपील पेश करने का कोई आधार नहीं है। लिहाजा यह अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :- 2022 / 129

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता गैरहाजिर। आज सरे इजलास रुक रुककर बार बार आवाजे लगाई गई जिसपर वादी या वादी अधिवक्ता हाजिर नहीं। अतः पत्रावली इसी स्तर पर अदमपैरवी अदमहाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिलदफ्तर हो।